शीर्षप्राथमिकता

संख्या:1810/नौ-7-12-117एल./2000

प्रेषक,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

20527

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/समस्त पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र.)

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 22 जून, 2012

विषयः प्रदेश के नगरों को प्रदूषण मुक्त कराने, पर्यावरण सुधार एवं नगरों को हरित एवं सुन्दर बनाने के उद्देश्य से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में नगरों की निरन्तर बढ़ती आबादी, औद्योगिकीकरण एवं वाहनों की संख्या में निरन्त वृद्धि के फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या गम्भीर रूप लेती जा रही है। साथ ही नगरीय क्षेत्र में विकास के नाम पर परम्परागत वृक्षों का विनाश तथा हरित क्षेत्रों के विस्तार में क्रमशः आता संकुचन इस समस्या कों और गम्भीर बना रहा है, क्योंकि प्रदूषण को कम करने तथा पर्यावरण को सन्तुलित करने की क्षमता रखने वाले वृक्षों का निरन्तर अभाव होता जा रहा है।

2. भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के फलस्वरूप नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय वानिकी, पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी पहलुओं के उन्नयन एवं वृद्धि के संबंध में व्यापक दायित्व दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-114 (33क) तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा-7(झ) में नगरीय वानिकी और पारिस्थितिकी पहलुओं की वृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण तथा सड़कों के किनारे व अन्य सार्वजनिक स्थानों में वृक्ष लगाने और उनका अनुरक्षण किये जाने का प्राविधान पूर्व से ही है, फिर भी समय-समय पर विषय की महत्ता को देखते हुए शासन द्वारा स्थानीय निकायों का ध्यान इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर आकर्षित किया जाता रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण के सम्भावित खतरों एवं गम्भीरता को देखते हुए अब यह अपरिहार्य हो गया है कि नगरीय क्षेत्रों में वनीकरण कार्यक्रमों को एक अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जाये और इसके लिये तदनुसार जनचेतना जाग्रत की जाय।

DD(R)
- website पर
22/6/12

रेखा गुप्ता
निदेशक

25/6/12

R-2 G.O.

3. उक्त के परिप्रेक्ष्य में समयक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों में वनीकरण कार्यक्रम को माह जुलाई से सितम्बर तक एक अभियान के रूप में क्रियान्वित किये जाने हेतु कृपया निम्न बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:

01. समस्त स्थानीय निकायों द्वारा वृहद् वृक्षारोपण की एक कार्य योजना बनाई जाये जिसका वित्त पोषण निजी श्रोतों एवं आवश्यकतानुसार 13वां वित्त आयोग अथवा राज्य वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से किया जाये। वृक्षारोपण कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग लिया जाये व रोपित पौधों के रख-रखाव में उस क्षेत्र के नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाय। इसके अतिरिक्त निजी प्रतिष्ठानों, स्वयं सेवी संगठनों, विभिन्न क्लबों आदि का भी इस पुनीत कार्य में सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय।

02. प्रत्येक स्थानीय निकाय यथा संभव अपने द्वारा संचालित/पोषित पार्कों में एक पार्क को ''स्मृति पार्क'' के रूप में परिवर्तित करें तथा स्थानीय नागरिकों को प्रोत्साहित करें कि इस प्रकार के पार्क में वह अपने प्रियजनों की स्मृति को बनाये रखने के उद्देश्य से वृक्षों का रोपण/पोषण करें। इस प्रकार के वृक्षों को स्मृतिका के नाम से चिन्हित किया जाये व इसका एक रजिस्टर पार्कवार स्थानीय निकाय के सम्पत्ति विभाग/उद्यान विभाग में रखा जाय।

03. निकायों में उपलब्ध भूमि से किसी उपयुक्त भूखण्ड पर नगरीय वन भी विकसित किया जाय।

04. प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा अपने वार्षिक बजट में एक निश्चित प्रतिशत वृक्षारोपण वन संरक्षण की मद् में प्राविधानित किया जाय।

05. प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में वन विभाग में प्रचलित योजनाओं के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में अधिकाधिक वृक्षारोपण कराया जाय। अतएव इस संबंध में वन विभाग से संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने की कार्यवाही की जाय।

06. वृक्षारोपण के लिये आवश्यक पौधों की उपलब्धता वन विभाग के पौधशालाओं से सुनिश्चित की जाय। इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारी का भी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

07. पर्यावरण संरक्षण एवं नगरीय वनीकरण हेतु नियमों/अधिनियमों में जिन-जिन संशोधनों की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, उनके संबंध में आवश्यक प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाय।

08. जलापूर्ति की टंकियों, ट्यूबवेलों, सलेज फार्मों, स्टोर कॉलोनी कार्यालयों पार्कों अथवा खुले स्थानों पर आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण अभियान चलाया जाय।

09. वृक्षारोपण के पश्चात् उसके रख-रखाव सिंचाई आदि का दायित्व सम्यक् रूप से निर्धारित कर दिया जाये तथा इसका नियमित अनुश्रवण किया जाय।

10. सार्वजनिक मार्गों के किनारे लगाये गये वृक्षों की समुचित देखभाल, सिंचाई एवं उनका अनुरक्षण किया जाय।

11. पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगी प्रतिष्ठित एवं क्रियाशील स्वयंसेवी संगठनों, संस्थाओं क्लबों आदि की सेवायें सार्वजनिक मार्गों के किनारे लगे वृक्षों की देखभाल आदि के लिये भी प्राप्त की जाये और उनके अनुभवों का उपयोग नगरीय वनों, स्मृति पार्कों के विकास एवं अनुरक्षण में किया जाय।

12. एक वृक्ष से दूसरे के बीच अपेक्षित दूरी रखी जाय।

13. चौड़ी सड़कों के किनारे नीम, आम, जामुन, पीपल, पाकर, बरगद आदि परम्परागत वृक्षों को लगाया जाये तथा छोटी गलियों तथा डिवाइडरों पर सजावटी वृक्षों को प्राथमिकता दी जाय।

14. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि वृक्षों/पौधों के पास सड़क या फुटपाथ बनाते समय उनमें सिंचाई के थाले हेतु पर्याप्त स्थान छोड़ा जाय।

15. नगरीय क्षेत्रों की सीमा के अन्दर आने वाले ताल, तालाबों एवं पोखरों के किनारे अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण कर उसे नगर के एक सुरम्य स्थल के रूप में विकसित करने की कार्यवाही की जाय।

16. स्थानीय निकायों की अतिक्रमित भूमि/भूखण्ड से अवैध कब्जे हटाकर आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण का कार्य कराया जाय।

17. भविष्य की दूरगामी योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षारोपण इस तरह किया जाये कि आने वाले दशकों में यह स्थानीय निकायों के लिये आय का एक साधन भी बन सके।

18. पर्यावरण संरक्षण/संवर्द्धन की दृष्टि से वृक्षारोपण के महत्व को स्थापित करने के लिये जनचेतना जगाने एवं तद्विषयक वातावरण निर्मित करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

19. समस्त स्थानीय निकायों-नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों में क्रमशः नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उक्त निर्देशों के अनुपालन के लिये उत्तरदायी होंगे।

4. उक्त बिन्दु मात्र एक मार्ग दर्शक सिद्धान्त के रूप में प्रेषित किये जा रहे हैं। आवश्यकतानुसार पर्यावरण संरक्षण एवं सौन्दर्यबोध की दृष्टि से सभी संबंधित अपने स्थानीय निकायों के लिये स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं, परन्तु लक्ष्य यही होना चाहिये कि अपने नगर को प्रदूषण मुक्त करने एवं पर्यावरण में सुधार के लिये अधिकाधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाये और उनके संरक्षण की कारगर व्यवस्था की जाय। साथ ही वन विभाग द्वारा इस संबंध में तैयार की गयी कार्य योजना में उनको अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाय।

5. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

R-2 G.O.

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ.प्र. शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया विभागीय अधिकारियों को स्थानीय निकायों में इस वृहद् वृक्षारोपण अभियान में यथोचित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ.प्र. शासन / निजी सचिव, मा. मंत्री जी नगर विकास विभाग।

3. निदेशक, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

4. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।

5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

R-2 G.O.